

प्रो-फार्मा ४

(भविष्य निवृत्ति निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय जाप

पारिवारिक न्यायालय, बरेली

१. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी एरीश प्रिया, प्रधान न्यायाधीश को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल०जे०पी० 19925 से श्री के विवाह प्रयोजन के व्यय वसूल करने हेतु 50,00,000/- रुपये (शब्दों में) पचास लाख का अंतिम निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(1)(a)(b) 214(1)(a) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

२. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी एरीश प्रिया के एन-महीने के वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 71,830/- रु० है।

३. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी एरीश प्रिया ने दिनांक 07.09.2013 को अपनी सरकारी सेवा के मन्तव्य/बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

४. दिनांक 03.02.2022 को उपर्युक्त कर्मचारी अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी एरीश प्रिया के खाते में जमा अवशेष राशि का व्योरा निम्न प्रकार है।

- (१) वर्ष 2020-21 की लेखा-वर्षी/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विकसिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि रु० 65,05,258/-
- (२) माह अप्रैल, 21 से माह दिसंबर तक प्रतिमाह की दर से अभिदान रु० 3,40,000/-
- (३) माह से माह तक प्रतिमाह रु०
- की दर से अधिम की वसूली रु० (क)
- (४) मद (१), (२) तथा (३) का योग रु० 68,45,258/-
- (५) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो रु०
- (६) स्वीकृत प्रदान करने की स्थिति को अवशेष मद रु०
- (४) में से मद (५) घटाइये रु०
- (क) वर्ष की लेखा-वर्षी के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को पिछली बार आदेश संख्या दिनांक द्वारा रु० का कोड अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।
- (ख) ज्ञात हुआ है कि श्री को (जैसा कि उन्होंने बताया) (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु० की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक.....

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।